

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रेस नोट संख्या: 242, दिनांक: 28-07-2025

बिहार के जनपद बेगूसराय, आदि क्षेत्रों में हत्या, डकैती/लूट, रंगदारी की कई घटनाओं को अंजाम देने वाला कुख्यात अपराधी एवं हत्या के अभियोग में वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी डब्लू यादव एसटीएफ के साथ हुई साहसिक मुठभेड़ में घायल, इलाज के दौरान मृत घोषित ।

दिनांक: 27/28-07-2025 की रात्रि में, जनपद हापुड, उ0प्र0 के थाना सिम्भावली क्षेत्र में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 एवं जनपद हापुड तथा बिहार पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान हुई एक साहसिक मुठभेड़ के बिहार के जनपद बेगूसराय आदि क्षेत्रों में हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी की कई घटनाओं को अंजाम देने वाला एवं हत्या के अभियोग में वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी डब्लू यादव घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी ।

अभियुक्त का विवरण:-

डब्लू यादव पुत्र सूर्य नारायण यादव निवासी ग्राम ज्ञानटोला, थाना साहेबपुर कमाल, जनपद बेगूसराय, बिहार ।

अभियुक्त से बरामदगी:

- 1- 01 अदद कारबाईन 9एमएम मय 02 अदद मैगजीन ।
- 2- 13 अदद जिन्दा कारतूस 9एमएम,
- 3- 05 अदद खोखा कारतूस 9एमएम,
- 4- 01 अदद पिस्टल 32 बोर मय 02 अदद मैगजीन,
- 5- 07 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर,
- 5- 06 अदद खोखा कारतूस 32 बोर,
- 6- 01 अदद तमंचा 315 बोर,
- 7- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर,
- 8- 01 अदद मोटर साईकिल (स्पलेन्डर) (बिना नम्बर प्लेट)
- 9- 01 अदद पिठटू बैंक (रंग काला)

घटनास्थल का दिनांक समय/ स्थान:-

दिनांक 27/28-07-2027 समय लगभग 23.55 बजे, बडडा नहर पुल के पास थाना सिम्भावली, जनपद हापुड क्षेत्र ।

उल्लेखनीय है कि बिहार पुलिस के द्वारा एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवगत कराया गया कि रूपया 50,000/- का ईनामी अपराधी डब्लू यादव पुत्र सूर्य नारायण यादव निवासी ग्राम ज्ञानटोला, थाना साहेबपुर कमाल, जनपद बेगूसराय, बिहार अपने गैंग के साथ दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में छिपा हुआ है। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के निर्देशन एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य, एसटीएफ फील्ड इकाई, नोएडा द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी ।

अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम को विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बिहार राज्य का रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी डब्लू यादव उपरोक्त, अपने गैंग के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड क्षेत्र में लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है तथा यह अपराधी बिहार में हत्या, अपहरण, डकैती, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है और अपहरण के साथ हत्या के अभियोग में वांछित चल रहा है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त स्थानीय पुलिस को अवगत

कराते हुए एस0टी0एफ0 नोएडा, बिहार पुलिस की टीम, थाना सिम्भावली की पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सिम्भावली से हरोडा रोड से रतुपुरा जाने वाले मार्ग पर बड़डा नहर पुल के चौराहा के पास पहुँच कर चैकिंग प्रारम्भ की गयी तो उसी दौरान एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति सिम्भावली की ओर से आते हुए दिखाई दिये, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल सवारों ने तेजी से मोटर साइकिल आगे बढ़ाते हुए एसटीएफ व पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने लगे। तत्पश्चात एसटीएफ टीम द्वारा साहस, संयम एवं व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ संतुलित एवं नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी तथा एक बदमाश फायरिंग करते हुए व अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। घायल बदमाश को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल उपचार हेतु सी0एच0सी0, सिखेडा ले जाया गया, जहाँ से उसको देवन्दीनी हॉस्पिटल हापुड रेफर किया गया जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक बदमाश की शिनाख्त डब्लू यादव पुत्र सूर्य नारायण यादव निवासी ग्राम ज्ञानटोला, थाना साहेबपुर कमाल, जनपद बेगूसराय, बिहार के रूप में हुई। मौके से भागे बदमाश की तलाश जारी है।

मृतक बदमाश डब्लू यादव (उम्र लगभग 45 साल) की अपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि यह अपराधी बिहार एवं आसपास के क्षेत्र का कुख्यात गैंगस्टर अपराधी है जिसका बिहार क्षेत्र में एक रजिस्टर्ड गैंग है, जिसका गैंग नम्बर- ए-121 है। इस अपराधी के द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी जैसी कई सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम दिया गया। मृतक बदमाश डब्लू यादव द्वारा की गयी घटनाओं में निम्न घटनाएँ प्रमुख रूप से हैं-

- 1- दिनांक 23-01-2010 को मृतक अभियुक्त डब्लू यादव ने अपने साथियों के साथ मिकलर कन्हैया कुमार पुत्र राम कल्याण सिंह निवासी कनौसी थाना गढपुरा, जनपद बेगूसराय के साथ मारपीट कर कैश लूट की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कमालपुर साहेब बेगूसराय पर मु0अ0स0 10/10 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है।
- 2- दिनांक 23-06-2013 को अभियुक्त डब्लू यादव द्वारा राहुल कुमार निवासी ग्राम ज्ञानटील साहेबपुर कमाल के साथ मारपीट कर बन्दूक की नोक पर रंगदारी वसूली थी, जिसके सम्बन्ध में थाना साहेबपुर कमाल बेगूसराय पर मु0अ0स0 118/13 धारा 341/323/384/504/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।
- 3- दिनांक 21-12-2014 को अभियुक्त डब्लू यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर योगेन्द्र यादव उर्फ मंगी यादव के ऊपर जान से मारने की नियत से गोली चलायी थी, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना साहेबपुर कमाल बिहार पर मु0अ0स0 367/14 धारा 341/307/387/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।
- 4- वर्ष 2015 में अभियुक्त डब्लू यादव द्वारा अपने गैंग के साथ मिलकर रूपेश कुमार पुत्र स्व0 कैलाश यादव निवासी ग्राम ज्ञानटोला थाना साहेबपुर कमाल से बेगूसराय क्षेत्र में ईट, भट्टा चलाने की एवज में बन्दूक की नोक पर 02 लाख रुपये की रंगदारी वसूली गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना साहेबपुर कमाल बिहार पर मु0अ0स0 397/15 धारा 147/148/149/504/506/386/387 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।
- 5- अभियुक्त डब्लू यादव द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बलिया की कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देने के कारण वर्ष 2017 में महेन्द्र यादव नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के सम्बन्ध में थाना साहेबपुर कमाल बिहार पर मु0अ0स0 63/17 धारा 302/34/120बी भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।
- 6- दिनांक 24-05-2025 को इस अपराधी के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर बेगूसराय के हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम पार्टी) के प्रखंड अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार उर्फ राकेश कदम का अपहरण कर दियारा क्षेत्र में ले जाकर हत्या कर दी गयी और शव को बालू के अन्दर दियारा क्षेत्र में

गाड़ दिया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना साहेबपुर कमाल पर मु0अ0सं0 149/25 धारा 103(1) 238 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत है। इसी अभियोग में इस अभियुक्त की गिरफ्तारी पर पुलिस उपमहानिरीक्षक बेगूसराय के स्तर से रु0 50,000/- का पुरस्कार घोषित हो रखा था।

मृतक बदमाश डब्लू यादव की अन्य अपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। मृतक अभियुक्त डब्लू यादव, उपरोक्त के सम्बन्ध में अब तक की गई छानबीन से निम्नवत् अपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है:-

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	32/06	414/406 भादवि	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
2	63/06	392 भादवि	बलिया	बेगूसराय
3	90/08	147/148/149/341/504/323 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
4	134/08	147/148/149/324/307/504 भादवि	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
5	149/08	25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
6	150/08	25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
7	213/09	341/307/34 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
8	10/10	395/412 भादवि	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
9	12/10	25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
10	03/11	147/148/149/341/307/586/504/506 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	मुफसिल मुंगेर	बेगूसराय
11	51/11	452/342/323/307 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
12	138/11	452/362/307/323 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
13	162/11	25(1बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
14	118/13	341/323/354/504/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
15	133/13	307/504/348 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
16	156/13	25(1बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
17	185/13	348/586/506 भादवि	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
18	367/14	341/324/307/34 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
19	397/15	147/148/149/504/506/386/387/ भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
20	416/16	25(1बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
21	63/17	302/120बी/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
22	101/22	341/323/506/34 भादवि	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
23	227/23	25(1-बी)ए/26/27/35 आर्म्स एक्ट	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
24	149/25	103(1) 238 बी0एन0एस0	साहेबपुर कमाल	बेगूसराय
25	243/25	109, 317(2) बी0एन0एस0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट	सिम्भावली	हापुड

उपरोक्त मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना सिम्भावली, जनपद हापुड पर मु0अ0सं0 243/2025 धारा 109, 317(2) बी0एन0एस0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।